राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालीराम / रामकिशोर

तारीख हुक्म	190/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/3/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट्स द्वारा एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत किया, जिसमे अंकित किया कि वाके ग्राम आकेडा डूंगर पटवार हल्का अखैपुरा भू अभिलेख क्षेत्र आमेर में स्थित भूमि साबिक ख.न 405 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा ख.न. 405/499 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 13 का 1/2 - 1/2 हिस्सा निहित है, वाद के पैरा नम्बर 2 में अंकित किया है कि विवादित आराजी के दौराने बन्दौबस्त हाल ख.न. 908 रकबा 0.44 हैक्टेयर ख.न. 911 रकबा .053 हैक्टेयर व ख.न. 912 रकबा 1.17 हैक्टेयर हुये, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजीयात के सन्दर्भ में घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1,2 व 13 की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में एक अन्य वाद संख्या 20/2013 बाबत घोषणा सहायक कलेक्टर आमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसको दिनांक 13/06/2014 सहायक कलेक्टर आमेर द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। उक्त वाद भी समान पक्षकारो के मध्य प्रस्तुत हुआ था, जो आराजी ख.न. 74 रकबा 2 बिस्वा, ख.न. 75 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 76 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 77 रकबा 13 बिस्वा, ख.न. 78 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.न.79 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीनारायणपूरा तहसील आमेर की आराजीयात के सन्दर्भ में घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु था। चूँकी वाद समान पक्षकारान के सन्दर्भित पैतृक आराजीयात हेतु था, अत: यह द्वितीय वाद समान पक्षकारान के मध्य पैतृक आराजीयात हेतु संधारणीय नही है एवं आदेश 2 नियम 2 व 3 जाप्ता दीवानी के तहत वादीगण को पैतृक आराजीयात के बाबत	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलमद जो इस की तामील में जारी हुए
190/2020	मालाराम/रामकिशोर	

नया वाद प्रस्तुत करने की ईजाजत नही दी जा सकती, समस्त आराजीयात हेतु एक ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, अत: प्रस्तुत यह नया वाद संधारणीय नही होने से ख़ारिज फरमाया जावे | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18/03/2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुये वादी का वाद संधारणीय नही होने से ख़ारिज कर दिया गया | जिसके विरुद्ध वादी/अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट्स द्वारा पैतृक आराजीयात के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत किया था, जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वाद नही प्रस्तुत किया जाकर सीधे ही आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि वाद संख्या 20/2013 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त वाद में वाद सयुक्त खाते की ग्राम लक्ष्मीनारायणपूरा तहसील आमेर स्थित आराजीयात के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया था जबकी मौजूदा वाद पक्षकारान की सयुक्त खाते की आराजीयात स्थित ग्राम आकेडा डूंगर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है | इस प्रकार दोनों वादों में अलग-अलग ग्रामो में स्थित आराजीयात के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये थे जो किसी प्रकार भी विधि द्वारा वर्जित नही होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुये वादी का वाद निरस्त करने में क़ानूनी भूल की है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वाद के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

190/2020	मालीराम / रामकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान आदेश 2 नियम 2 जाप्ता दीवानी की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त नियम में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वाद में पक्षकारान के मध्य उपजे सम्पूर्ण विवादों के सन्दर्भ में एक ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये, यदी कोई क्लेम पूर्ववर्तीय वाद में नही उठाया गया है तो यह माना जायेगा कि उस क्लेम का वादी द्वारा त्याग कर दिया गया है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने पुन: हमारा ध्यान पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 20/2013 में सन्दर्भित आराजीयात की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि दोनों वादों में समान पक्षकारो की खाते की आराजीयात जो एक ही तहसील के दो गाँवों में स्थित है के सन्दर्भ में दो पृथक-पृथक वाद प्रस्तुत किये गये है जो जाप्ता दीवानी के सन्दर्भित नियमो के तहत संधारणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार कर वाद ख़ारिज किये जाने में कोई त्रुटी नही की है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील यथावत रखा जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं सन्दर्भित क़ानूनी प्रावधानों का मनन किया | जाप्ता दीवानी के आदेश 2 नियम 2 के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि समान पक्षकारान की पुश्तैनी आराजीयात के सन्दर्भ में उपजे विवादों के सन्दर्भ में एक ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये, अलग-अलग आराजीयात के सन्दर्भ में अलग-अलग वाद संधारणीय नही सकते बल्कि जैसाकी आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 2 जो कि निम्नप्रकार है :- "Relinquishment of part of claim :- where a plaintiff omits to sue in respect of, or intentionally, any partion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the partion so omitted or relinquished." जिसका सीधा तात्पर्य यही है कि यदि कुछ हिस्से के सन्दर्भ में वाद करना यह जाये तो उसके लिये पुन: वाद नही लाया जा सकता बल्कि यही माना जायेगा की उस हिस्से के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	190/2020 मालीराम / रामकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सन्दर्भ में वादी द्वारा अपने हको का त्याग कर दिया गया है। विचाराधीन प्रकरण में वादी/अपीलान्ट्स द्वारा यही दोहराते गया है कि वादी द्वारा पूर्ववर्तीय वाद में ही इस वाद के क्लेम को सम्मिलित नही किया गया था, अत: यही माना जायेगा की वादी द्वारा इस नये वाद में सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में अपने अधिकार विलोपित कर दिये है, जिससे स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नया वाद संधारणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर क़ानूनी प्रावधानों से वर्जित होने से ख़ारिज किया गया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/03/2020 यथावत रखे जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09/3/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर